

अध्याय 3: सेवा कर की उगाही

वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 67 में उल्लिखित है कि जहां सेवा कर का प्रावधान धन के प्रतिफल के लिये है करयोग्य सेवा का मूल्य ऐसी सेवा के लिये प्रभावित सकल राशि होगी।

इस निष्पादन लेखापरीक्षा के दौरान हमने ₹ 44.74 करोड़ के सेवा कर के गैर/कम-भुगतान के 145 मामलों को देखा। इनमें से ₹ 1.92 करोड़ की राशि 23 मामलों में उगाही की गई।

कुछ उदाहरणार्थ मामले नीचे दिये गये हैं:-

3.1 भुगतान न किया गया सेवा कर

3.1.1 वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 65 (105) (जेडजेडजेडजेडए) के अनुसार, करयोग्य सेवा का अर्थ है “रोड, हवाई अड्डे, रेलवे, यातायात टर्मिनल, पुल, सुरंगों, बांधों के संबंध में निर्माण कार्य को छोड़कर, निर्माण कार्य अनुबंध के निष्पादन के संबंध में किसी भी अन्य व्यक्ति द्वारा किसी भी व्यक्ति को प्रदान की गई या प्रदान की जाने वाली कोई भी सेवा और निर्माण के उद्देश्य से किया गया ठेका, मशीनरी, उपकरण का चालू होना या स्थापना आदि, चाहे पूर्वनिर्मित या अन्यथा शामिल हो।”।

रांची कमीशनरी में मैसर्स एचईसी लिमिटेड के अभिलेखों की जांच के दौरान हमने देखा कि उन्होंने आपूर्ति आदेश के प्रति उपभोक्ताओं को कमीशनरी/उपकरण की आपूर्ति की और अप्रैल 2011 और मार्च 2014 के बीच निर्माण और उपकरणों को चालू करने और जांच आदि जैसी सेवाएं भी प्रदान की। निर्धारिती को आपूर्ति किये गये उपकरण के निर्माण, शुरू, जांच आदि के कारण ₹ 44.71 करोड़ प्राप्त हुये लेकिन इस राशि पर सेवा कर भुगतान नहीं किया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 2.21 करोड़ के सेवा कर की उगाही नहीं हुई।

हमने यह बताया (जनवरी 2015), विभाग/मंत्रालय का उत्तर अभी प्रतीक्षित है (जून 2015)।

3.1.2 इसी प्रकार, रांची और जमशेदपुर कमीशनरी में आठ अन्य मामलों में हमने देखा कि उन्होंने आपूर्ति आदेश के प्रति उपभोक्ताओं को मशनरी/उपकरण की आपूर्ति की और अप्रैल 2011 और मार्च 2014 के बीच निर्माण और उपकरणों को चालू करने और जांच आदि जैसी सेवाएँ भी प्रदान की। निर्धारिती को आपूर्ति किये गये उपकरण के निर्माण, शुरू करने, जांच आदि के कारण ₹ 98.15 करोड़ प्राप्त हुये लेकिन इस राशि पर सेवा कर का भुगतान नहीं किया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 4.81 करोड़ के सेवा कर उगाही नहीं हुई।

हमने यह बताया (जनवरी 2015), विभाग/मंत्रालय का उत्तर अभी भी प्रतीक्षित है (जून 2015)।

3.1.3 चण्डीगढ़-I कमीशनरी में मैसर्स पटेल इंजीनियरिंग लिमिटेड के अभिलेखों की जांच के दौरान, हमने देखा कि निर्धारिती 2013-14 के दौरान शिमला जिले में सावरा कुड़ु में साबरा कुड़ु हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना के निर्माण में ₹ 80.88 करोड़ के मूल्य के अनुबंध से जुड़ा था। तथापि, निर्धारिती ने उपरोक्त कार्य के निष्पादन के लिये ₹ चार करोड़ के सेवा कर का भुगतान नहीं किया।

हमने यह बताया (नवंबर 2014), विभाग/मंत्रालय का उत्तर अभी प्रतीक्षित है (जून 2015)।

3.1.4 हैदराबाद-IV कमीशनरी में मैसर्स इंदु परियोजना लिमिटेड के अभिलेखों की जांच के दौरान, हमने देखा कि निर्धारिती डब्ल्यूसीएस सहित कई सेवाएँ प्रदान कर रहा था। अप्रैल 2013 से मार्च 2014 की अवधि के लिये निर्धारितियों द्वारा भुगतान किये जाने वाले सेवा कर की राशि ₹ 14.30 करोड़ थी। तथापि, निर्धारिती ने ₹ 10.43 करोड़ के सेवा कर का भुगतान नहीं किया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 3.87 के सेवा कर का कम भुगतान हुआ।

हमने इस ओर ध्यान दिलाया (अक्टूबर 2014), विभाग/मंत्रालय का उत्तर अभी प्रतीक्षित है (जून 2015)।

3.1.5 हैदराबाद (एसटी) कमीशनरी में, मैसर्स रैमकी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, के अभिलेखों की जांच के दौरान, हमने देखा कि निर्धारिती डब्ल्यूसीएस सहित कई सेवाएं प्रदान कर रहा था। निर्धारिती द्वारा दिया जाने वाला सेवा कर अप्रैल 2013 से मार्च 2014 तक अवधि के लिये ₹ 4.96 करोड़ था। तथापि, निर्धारिती ने ₹ 1.03 करोड़ के सेवा कर का भुगतान किया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 3.93 करोड़ के सेवा कर का कम भुगतान हुआ।

हमने यह बताया (जनवरी 2015), विभाग/मंत्रालय का उत्तर अभी प्रतीक्षित है (जून 2015)।

3.1.6 जयपुर-। कमीशनरी में मैसर्स राजेन्द्र मित्तल कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड के अभिलेखों की जांच के दौरान, हमने देखा कि निर्धारिती को वर्ष 2011-12 और 2012-13 के दौरान श्री सीमेंट लिमिटेड, वंडर सीमेंट लिमिटेड और पावरग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड नाम के अपने उपभोक्ताओं को वाणिज्य और उद्योग के उद्देश्य हेतु तत्संबंधी भाग या सिविल संरचना या नई बिल्डिंग के निर्माण के संबंध में ₹ 19.02 करोड़ की राशि प्राप्त हुई। तथापि, निर्धारिती ने ₹ 85.93 लाख के सेवा कर का भुगतान नहीं किया।

हमने इस ओर ध्यान दिलाया (नवंबर 2014), विभाग/मंत्रालय का उत्तर अभी प्रतीक्षित है (जून 2015)।

3.1.7 पटना कमीशनरी में मैसर्स नवयुग इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड के अभिलेखों की जांच के दौरान, हमने देखा कि निर्धारिती को डब्ल्यूसीएस के लिये अक्टूबर 2013 से मार्च 2014 के दौरान मैसर्स एनटीपीसी, बाढ़ से ₹ 18.12 करोड़ की राशि प्राप्त हुई तथापि, निर्धारिती ने ₹ 80.85 लाख के सेवा कर का भुगतान नहीं किया।

हमने यह बताया (जनवरी 2015), विभाग/मंत्रालय का उत्तर अभी प्रतीक्षित है (जून 2015)।

3.1.8 जयपुर कमीशनरी में मैसर्स मंगलम बिल्ड डिवेलपर्स लिमिटेड के अभिलेखों की जांच के दौरान हमने देखा कि निर्धारिती को आवासीय

परियोजनाओं में सड़क निर्माण के संबंध में ₹ 31.65 करोड़ के मूल्य के लिये 2013-14 के दौरान स्वाधिकृत फर्म (मैसर्स देवी कंस्ट्रक्शन कंपनी) से डब्ल्यूसीएस प्राप्त हुआ लेकिन 50 प्रतिशत देय सेवा कर होने पर ₹ 78.25 लाख के सेवा कर का भुगतान नहीं किया।

हमने इस ओर ध्यान दिलाया (अक्टूबर 2014), विभाग/मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (जून 2015)।

3.2 मुफ्त आपूर्ति के मूल्य को शामिल न करना

सेवा कर (मूल्य निर्धारण) नियमावली, 2006 के नियम 2ए(ii)ए के अनुसार, यदि निर्माण अनुबंध वास्तविक निर्माण कार्य में निष्पादन के लिये किया गया हो, सेवा कर निर्माण कार्य अनुबंध के लिये प्रभारित कुल राशि के 40 प्रतिशत पर देय होगा। इसके आधार पर स्पष्टीकरण (बी) के अनुसार, निर्माण अनुबंध के मूल्य निर्धारण के उद्देश्य के लिये “कुल राशि” में निर्माण कार्य अनुबंध के निष्पादन के संबंध में या आपूर्ति की गई सेवाएँ और सभी माल का उचित बाजार मूल्य और निर्माण कार्य अनुबंध के लिये प्रभारित सकल राशि का कुल योग शामिल होगा, चाहे महत्व का हो या अन्यथा, मामले में जहां सेवा भाग का मूल्य निमय 2ए(i) के अंतर्गत निर्धारित नहीं किया जा सकता।

3.2.1 हैदराबाद-IV कमीशनरी में मैसर्स मित्राह एनर्जी (आई) लिमिटेड और मैसर्स बिंदु ऊर्जा इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के अभिलेखों की जांच के दौरान, हमने देखा कि निर्धारिती ने मुफ्त सामग्री अर्थात् इस्पात, यूनिट ट्रांसफार्मर, यूनिट ट्रांसफार्मर की आपूर्ति के निर्माण कार्य अनुबंध के निष्पादन में शामिल इलैक्ट्रिकल कार्य की यूनिट, इलैक्ट्रिकल लाइन मद, अक्षय यंत्र के भाग, यूनिट ट्रांसफार्मर का अधिष्ठापन आदि के मूल्य को जोड़े बिना सेवा कर लगाया जो उचित नहीं है। मुफ्त आपूर्ति सामग्री का मूल्य ₹ 113.11 करोड़ था। निशुल्क आपूर्ति सामग्री के वास्तविक मूल्य को शामिल ना करने के परिणामस्वरूप ₹ 3.37 करोड़ के सेवा कर का कम भुगतान हुआ।

हमने यह दर्शाया है (दिसम्बर 2014), विभाग/मंत्रालय का उत्तर अभी तक प्रतीक्षित है (जून 2015)।

3.2.2 कालीकट कमीशनरी में, मैसर्स हिलिएट प्रोजेक्ट्स के अभिलेखों की जांच के दौरान, हमने देखा कि निर्धारिती ने 2012-13 तथा 2013-14 के दौरान प्रभारित सकल राशि के 40 प्रतिशत पर सेवा कर का भुगतान करने के बजाए कुल प्राप्ति (सीमेंट तथा इस्पात की निशुल्क आपूर्ति का मूल्य उपलब्ध ना होने के कारण कुल प्राप्ति में 20 प्रतिशत जोड़ कर मूल्य गिना गया था) के 60 प्रतिशत पर मूल कार्य के लिए सेवा कर की अदायगी की, जो गलत है। नियम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो निशुल्क आपूर्ति सामग्री के सही मूल्य को अपनाने के स्थान पर गलत प्रतिशतता को अपनाने की अनुमति देता हो। हमने निर्धारिती से पता लगाया कि निशुल्क आपूर्ति सामग्री का सही मूल्य ₹ 20.06 करोड़ बनता है। निशुल्क आपूर्ति सामग्री का वास्तवित मूल्य शामिल न करने के परिणामस्वरूप ₹ 40.28 लाख के सेवा कर का कम भुगतान हुआ।

हमने यह दर्शाया है (जनवरी 2015), विभाग/मंत्रालय का उत्तर अभी तक प्रतीक्षित है (जून 2015)।

3.2.3 हल्दिया कमीशनरी में मै. प्रोग्रेसिव इन्डीवर्स प्रा. लि. के अभिलेखों की जांच के दौरान, हमने देखा था कि निर्धारिती ने मैसर्स गोदरेज एग्रोवेट लि. के साथ किये गए निर्माण अनुबंधों के संबंध में सेवा कर का भुगतान किया था परन्तु ₹ 4.34 करोड़ की लागत के निशुल्क आपूर्ति किये गए सीमेन्ट तथा इस्पात का मूल्य शामिल नहीं किया था जिसके कारण सेवा का कम मूल्यांकन हुआ जिसके परिणामस्वरूप 2011-12 से 2013-14 के दौरान ₹ 21.47 लाख के सेवा कर का कम भुगतान हुआ।

हमने यह दर्शाया है (जनवरी 2015), विभाग/मंत्रालय का उत्तर अभी तक प्रतीक्षित है (जून 2015)।

3.3 कराधान केन्द्र नियमावली का अनुचित प्रयोग

कराधान केन्द्र नियमावली, 2011 के नियम 3(बी) (i) के अनुसार ‘सेवा की निरंतर आपूर्ति’ का अर्थ हैं जहां पूरी सेवा अथवा इसके एक भाग के प्रावधान का निर्णय संविदा के अनुसार एक घटना की पूर्णता पर आवधिक रूप से किया जाता है जिसमें सेवा प्राप्तकर्ता द्वारा सेवा प्रदाता को कोई भुगतान करना अपेक्षित है तो ऐसी प्रत्येक घटना की पूर्णता तिथि जैसा कि संविदा में स्पष्ट की गई है, सेवा के प्रावधान की पूर्णता तिथि मानी जाएगी।

मुम्बई-11 (एसटी) कमीशनरी में मैसर्स प्रतिभा इंडस्ट्रीज लि. के अभिलेखों की जांच के दौरान, हमने देखा कि निर्धारिती ने मुख्य ठेकेदार के रूप में विकासकों जैसे रस्तमजी रियल्टी प्रा.लि., टाटा हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को डब्ल्यूसीएस उपलब्ध कराए थे तथा प्रभारित की गई कुल राशि के मूल्य के 40 प्रतिशत पर सेवा कर देयता का निवहन किया था, जिसके लिए भुगतान संविदात्मक अनुबन्ध के अनुसार विकासकों द्वारा प्रमाणित किये गए थे। तथापि, निर्धारिती ने 31 मार्च 2014 तक उठाए गए बिलों के लिए अप्रमाणित राशि होने के नाते 2013-14 के दौरान कुल राशि से ₹ 59.41 करोड़ की राशि निकाल दी थी। चूंकि डब्ल्यूसीएस सेवा की निरंतर आपूर्ति होने के कारण, किए गए कार्यों की पूर्णता पर विकासक को कर बीजक के रूप में बिलों का प्रस्तुतिकरण अथवा प्रक्रमण, बिलों के प्रमाणीकरण की तिथि के प्रति कराधान का केन्द्र था। इसलिए, उपरोक्त राशि को शामिल न करने के कारण, वर्ष 2013-14 के लिए ₹ 2.93 करोड़ के सेवा कर का कम उद्ग्रहण हुआ।

दर्शाये जाने पर (नवम्बर 2014), विभाग ने सूचित किया (अप्रैल 2015) कि ₹ 2.93 करोड़ के लिए एक कारण बताओ ज्ञापन मार्च 2015 में जारी किया गया था।

मंत्रालय का उत्तर अभी तक प्रतीक्षित है (जून 2015)।

3.4 समय पर सेवा कर का भुगतान ना करना

वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 67 के साथ पठित धारा 65(105) के अनुसार, सेवा कर इस तथ्य पर ध्यान दिये बिना कि सेवाएं कब उपलब्ध कराई गई हैं जिनके संबंध में अग्रिम भुगतान प्राप्त किया गया है, अग्रिम भुगतान की प्राप्ति पर देय होगा।

इसके अतिरिक्त 1 अप्रैल 2005 से सेवा कर नियमावली, 2005 के नियम 6 के अनुसार, मार्च में समाप्त होने वाली तिमाही को छोड़कर जिसका भुगतान कैलेन्डर वर्ष के 31 मार्च तक केन्द्रीय सरकार के क्रेडिट में किया जाएगा, सेवा कर कर योग्य सेवाओं के मूल्य के प्रति जिस माह में भुगतान प्राप्त किये गए हैं, के अगले माह की 5वीं/6ठी तक केन्द्रीय सरकार के क्रेडिट में भुगतान किया जाएगा।

दिल्ली (एसटी) कमीशनरी में, मैसर्स सिन्डा इंजीनियरिंग एण्ड कन्स्ट्रक्शन प्रा. लि. के एसटी-3 रिटर्न तथा रनिंग अकाउंट बिल की नमूनाजांच के दौरान हमने देखा कि 2010-11 से 2013-14 की अवधि के दौरान, निर्धारिती ने फरवरी 2013 के माह में मैसर्स चाइना स्टील कारपोरेशन इण्डिया प्रा. लि. के लिए सिविल निर्माण कार्य के प्रति ₹ 31.97 करोड़ (माल तथा सेवाओं के लिए) का अग्रिम प्राप्त किया था। तथापि, निर्धारिती ने प्राप्त किये गए अग्रिम की प्राप्ति तिथि (7 फरवरी 2013 से 2 जुलाई 2014 के बीच) के बजाए रनिंग अकाउंट बिल की तिथियों पर सेवा कर भुगतान किये थे। इसके अतिरिक्त, 2 जुलाई 2014 के पश्चात ₹ 17.68 करोड़ का बकाया संग्रहण शेष था जिस पर निर्धारिती द्वारा सेवा कर का भुगतान नहीं किया गया था। इसके परिणामस्वरूप फरवरी 2015 तक ₹ 2.19 करोड़ के सेवा कर तथा ₹ 1.05 करोड़ के ब्याज का भुगतान नहीं हुआ।

हमने यह दर्शाया (फरवरी 2015), विभाग/मंत्रालय का उत्तर अभी तक प्रतीक्षित है (जून 2015)।